राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त विभाग, जयपुर

कमांक : भूमि/एफ 7(ड)(अभि–12)/डीएलबी/12/ 24013 दिनांक : 6-12-2012

आ दे श

मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा कमांक प.5(1) मंमं/2009 दिनांक 26.04.11 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुर्नगठित एवं आदेश दिनांक 01.11.2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012" से संबंधित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. कच्ची बस्ती नियमन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.08.2007 में नियमितिकरण हेतु कट आफ डेट (cut of date)दिनांक 01–04–2004 निर्धारित की गई थी। कच्ची बस्ती में दिनांक 15 अगस्त 2009 तक निवास करने वाले सर्वेधारी/गैर–सर्वेधारी व्यक्तियों/परिवारों के आवासों के नियमितिकरण हेतु कट आफ डेट (cut of date) दिनांक 01–04–2004 के स्थान पर 15–08–2009 नियत की जाती है।

2. कच्ची बस्ती नियमन/विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों में कच्ची बस्ती नियमन/विकास समिति का गठन किया हुआ हैं। अभियान अवधि के लिए समिति के स्थान पर नियमन हेतु निकाय/न्यास/प्राधिकरण स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया जाता है।

3. योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्ती के यथास्थान नियमन हेतु योजना क्षेत्र के ले–आउट प्लान में संशोधन कर कच्ची बस्ती को अलग करते हुए यथा स्थान नियमन के लिए निकाय/न्यास/प्राधिकरण स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया जाता है। कच्ची बस्ती नियमन हेतु पूर्व निर्धारित निम्न दरें ही लागू रहेगी :–

क्षेत्रफल (वर्गगज में)	नियमन दरें (प्रति वर्गगज में)		
	नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद क्षेत्र	नगर पालिका क्षेत्र
1 से 50	20 रूपये	15 रूपये	10 रूपये
51 से 110	40 रूपये	30 रूपये	20 रूपये

नोट – बी.पी.एल. के अतिरिक्त परिवार/व्यक्तियों के लिए यह दरें दुगुनी निर्धारित है।

अन्यत्र पुर्नवासित किये जाने की दशा में नवीन स्थल की आरक्षित दरों का 10 प्रतिशत दर पर राशि वसूलनीय होगी। नियमन आवासीय क्षेत्र के लिए अधिकतम 110 वर्गगज तथा रोजगार हेतु प्रयुक्त व्यवसायिक कार्य के लिए अधिकतम 15 वर्ग गज तक किया जा सकेगा। व्यवसायिक भूमि की दर सामान्य नियमन दर की दोगुनी होगी। कच्ची बस्ती नियमन के अन्तर्गत नियत अवधि से पूर्व निवास करने वाले परिवार को अधिकतम 110 वर्ग गज तक का पट्टा दिया जा सकता है। यदि किसी स्थान पर एक ही परिवार के तीन वयस्क सदस्यों का परिवार पृथक–पृथक

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\J2FOAVIG\Note%20of%20ECmeeting%20dt.%2001.11.12%20&%20O.Odt.06.12.12KB[1].doc

निवास करता है तो उन्हें 110–110 वर्गगज क्षेत्रफल तक का पट्टा अधिकतम दिया जा सकता है जो कच्ची बस्ती नियमन नीति के अन्तर्गत होगा।

4. कच्ची बस्तियॉं जिनमें पर्याप्त आधारभूत सुविधाऐं विकसित हो चुकी हैं और मौके पर पक्के आवासों का निर्माण भी हो चुका है, कच्ची बस्ती की परिभाषा में नही रह जाती है, ऐसी कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित(डि–नोटिफाई) करने के लिए पूर्व में गठित कच्ची बस्ती नियमन समिति के स्थान पर स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड समिति को अधिकृत किया जाता है।

5. कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु 110 वर्गगज से अधिक आवासीय क्षेत्रफल होने पर भी एक परिवार को 110 वर्गगज क्षेत्रफल का नक्शा बनाते हुए नियमन किये जाने की अधिकारिता स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को प्रदान की जाती है। इसी के अनुरूप पट्टे जारी किये जावेंगे।

6. प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 की अवधि में स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे दिये जाने के कम में 1.1.1965 से पूर्व का निवास होने के साक्ष्य के रूप में वर्ष 1966 की मतदाता सूची ग्राह्य होगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर यदि उसके वयस्क परिवारजन उसी स्थान पर पृथक–पृथक निवास कर रहे हैं तो उन्हें नियमन योग्य क्षेत्र (अधिकतम 300 वर्गमीटर तक) का पट्टा अलग अलग नाम से जारी किया जावे। इसी कम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि संयुक्त परिवार परस्पर सहमत हैं तो संयुक्त नाम से पट्टा जारी किया जावें।

(ताराचंद मीणा)
निदेशक एवं उप शासन सचिव

कमांक : भूमि/एफ 7(ड)(अभि–12)/डीएलबी/12/२५०१५–२५२५० दिनांक : 6-12-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख शासन सचिव मा0 मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक–समस्त स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषदें एवं नगर पालिकाऐं राजस्थान।
7. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
8. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक